पत्रांक– बि0प्र0सु0मि0सो/आर.टी.पी.एस.–07/2015, सो0–1003

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

डॉ0 प्रतिमा,
अपर मिशन निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 06/06/2019

विषय– **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र की सेवा ऑनलाईन तथा आर0टी0पी0एस0 कांउटर के माध्यम से एन0आई0सी0 के सर्विस प्लस प्लैटफार्म के द्वारा दिये जाने के संबंध में।**

प्रसंगः– 1. सामान्य प्रशासन विभाग के सूचना सं0–2622 , दिनांक–26.02.2019
2. सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक–4221, दिनांक–28.03.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में जिलों द्वारा संबंधित अंचलो से ऑफलाईन माध्यम से आवेदन प्राप्त करने तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है।

एन0आई0सी0 के द्वारा ऑनलाईन व्यवस्था लागू करने हेतु सर्विस प्लस प्लेटफार्म पर सॉफ्टवेयर मोडूयल विकसित कर लिया गया है। एन0आई0सी0 द्वारा इस व्यवस्था को दिनांक–05.06.2019 से live कर दिया गया है। इसे serviceonline.bihar.gov.in पर लॉगईन कर access किया जा सकता है।

इस व्यवस्था के तहत आर0टी0पी0एस0 केन्द्र के माध्यम से अथवा ऑनलाईन आवेदन किये जा सकते है। सुलभ प्रसंग हेतु पुरा कार्य प्रवाह (आवेदन प्राप्ति से प्रमाण पत्र निंगमन तक) अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।

यह उल्लेखनीय है कि इस व्यवस्था के तहत निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जायेः–

i. स्वयं घोषणा पत्र का प्रारूप ही आवेदन पत्र का प्रारूप होगा।
ii. फोटो अभिप्रमाणित कराने हेतु आवेदक को एक बार प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले प्राधिकार यथा जिलाधिकारी/अनुमण्डलाधिकारी/अंचलाधिकारी के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
iii. माता का नाम स्वयं घोषणा पत्र तथा प्रमाण पत्र में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जायेगा, अतः आवेदन क्रम में माता का नाम भी प्राप्त किया जाए।

E:\~PRASHANT KUMAR\Ao Sir~\Letter

iv. डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के क्रम में फोटो स्कैन कर पी.डी.एफ. का हिस्सा बनेगा, अतः इस क्रम में स्वयं घोषणा पत्र के साथ आवेदक को एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो (नवीनतम) अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

v. आवेदन क्रम में आधार नम्बर का उपयोग कर अपनी पहचान का सत्यापन कराना अभ्यर्थी के लिए ऐच्छिक होगा।

vi. अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अनुमण्डल पदाधिकारी/ जिला पदाधिकारी (यथा स्थिति) द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग कर प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

vii. एन.आई.सी. के द्वारा सर्विस प्लैटफार्म के सुचारू संचालन हेतु उपलब्ध कराए गए विशिष्टियों के अनुरूप पूर्व में प्रत्येक केन्द्र हेतु दो–दो कम्प्यूटर सेट क्रय कर उपलब्ध कराए गए हैं। उनका उपयोग इस कार्य हेतु किया जाएगा।

viii. आर.टी.पी.एस. केन्द्र पर प्राप्त आवेदनों को दर्ज करने, आदि हेतु संबंधित कार्यपालक सहायक को तथा प्रमाण पत्र निर्गत करने आदि हेतु सभी अंचल अधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी को serviceonline.bihar.gov.in पर लॉगईन कर access करने के लिए अपना–अपना Login तथा Password का उपयोग करना होगा। जिला सूचना पदाधिकारियों को एन.आइ.सी. के द्वारा login तथा password की सूची उपलब्ध करा दी गई है। संबंधित कर्मी तथा पदाधिकारी उसे प्राप्त कर अपना–अपना account को access कर अपना password बदल लेंगे तथा निर्धारित दायित्वों के अनुसार उपयोग करेंगे।

ix. प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारियों को अपना–अपना डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र (Digital Signature Certificate) को अपने खाता में पंजीकृत करना होगा।

अतः अनुरोध है कि इस व्यवस्था को तुरंत लागू करने हेतु समुचित कदम उठाए जायें।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

6/6/19

(डॉ0 प्रतिमा)

अपर मिशन निदेशक

E:\"PRASHANT KUMAR\Ao Sir"\Letter...

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सॉफ्टवेयर का कार्यप्रवाह

आवेदन

↓

आर०टी०पी०एस० केन्द्र

↓

1. कार्यपालक सहायक द्वारा स्वयं शपथ पत्र के आधार पर **serviceonline.bihar.gov.in** पर लॉगिन कर ऑनलाईन भरा जाना।
2. कार्यपालक सहायक द्वारा आवेदक का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन कर अपलोड किया जाना।
3. आवेदक को प्रणाली जनित पावती कार्यपालक सहायक द्वारा निर्गत किया जाना।

↓

आवेदन पत्र आवश्यक कार्यार्थ अंचल अधिकारी के कार्यालय को भेजा जाना

ऑनलाईन (serviceonline.bihar.gov.in)

↓

आधार रहित | आधार रहित(भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत बारह पहचान पत्रों में से कोई एक)

1- दोनों मामले में आवेदक का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो आवेदक द्वारा स्कैन कर अपलोड किया जाना

2- आवेदक को यूनीक आवेदन संख्या के साथ ऑनलाईन पावती

↓

आर०टी०पी०एस० केन्द्र के कार्यपलाक सहायक द्वारा आवेदन को डाउनलोड कर आवश्यक कार्यार्थ अंचल अधिकारी के कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना

↓

अचंल निरिक्षक/राजस्व कर्मचारी द्वारा जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना

↓

1- अंचल अधिकारी द्वारा **serviceonline.bihar.gov.in** पर लॉगिन कर अचंल निरिक्षक/राजस्व कर्मचारी द्वारा जाँच कर प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक के परिवार की आय तथा परिवार द्वारा धारित परिसम्पत्ति से संबंधित सूचनाओं को दर्ज करते हुए आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाना

2- तदनुसार ई–मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से आवेदक को सूचना दिया जाना। अगर आवेदक द्वारा आवेदन करने के क्रम में फोन नम्बर अथवा ई–मेल पता नहीं दिया गया है तो आवेदक सर्विस प्लस के पोर्टल पर जा कर अपने आवेदन संख्या का उपयोग कर अपने आवेदन के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकता है। एस.एम.एस./ई–मेल में आवेदन स्वीकृत किये जाने की स्थिति में यह सूचना होगी कि 'प्रमाण पत्र तैयार कर लिया गया है, आवेदक अगले किसी कार्य दिवस पर पावति एवं निर्धारित पहचान के साथ संबंधित अंचल अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपने फोटो को अभिप्रमाणित करा लें। उसके उपरान्त प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।' आवेदन अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में आय अथवा धारित परिसम्पत्ति के विभिन्न विकल्पों में से जिस विकल्प/विकल्पों को अंचल अधिकारी द्वारा निर्धारित अधिसीमा से अधिक पाया गया है, को कारण दर्शाते हुए ई–मेल/एस.एम.एस. द्वारा स्वतः सूचित किया जायेगा तथा तदनुसार उक्त आवेदन संख्या के विरूद्ध अद्यतन स्थिति ऑनलाईन भी दिखेगी।

↓

1- अंचल अधिकारी द्वारा **serviceonline.bihar.gov.in** पर लॉगिन कर अपने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का उपयोग करते हुए फोटो अभिप्रमाणित किया जाना (आवेदक द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये पहचान पत्र केक आलोक में)

2- तदनुसार प्रमाण पत्र स्वीकृत कर डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना।

3- तदनुसार एस.एम.एस./ई–मेल के माध्यम से आवेदक को सूचना भेजा जाना तथा ऑनलाईन स्थिति का अद्यतीकरण किया जाना।

↓

अनुमंडल पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संख्या का उपयोग कर आवेदक आर0टी0पी0एस0 केन्द्र अथवा **serviceonline.bihar.gov.in** पर जा कर आवेदन करेगें तथा उक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा/ डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का उपयोग कर प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर निर्गत किया जायेगा।